



न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल गवालियर म.प्र

कुदरुं पिता हरिराम पटेल

R-1527-11112

निवासी ग्रम ढाना तह. व जिला सागर म.प्र.

.....पुनरीक्षणकर्ता

// विरुद्ध //

1. श्रीमति कुन्ती बाई पत्नि चन्द्रशेखर तिवारी निवासी वरियाघाट वार्ड सागर तह. व जिला सागर द्वारा कारंदा आम हनुमान प्रसाद वल्द माधव प्रसाद साकिन ढाना तह. व जिला सागर

2. काशीराम पिता दमू

3. तुलसी,

4. कनई,] पिता सुदामा

5. सीताराम,

6. इमरत

7. मुना — पिता चेतू

सभी निवासी ग्रम ढाना तह. व जिला सागर म.प्र.अनावेदक गण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 (1) म.प्र.भू.रा. संहिता 1959

पुनरीक्षण कर्ता न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर जिला सागर म.प्र
के राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्र 24/अ -6(अ) / 2011-12 में

पारित आदेश दिनांक 3.3.2012 से परिवेदित होकर नीचे लिखे
तथ्यों एवं आधारों पर, यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है :-

1. यह कि प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक क्र. 1 ने बैनामा दिनांक 27.10.1994 के द्वारा ग्रम ढाना तह. व जिला सागर में भूमि क्रय की थी जिसका पुराना ख. नं. 570, 571/1, 575/1 रकवा 2.72 एकड़ था जिसका बन्दोवस्त बाद नया ख. नं. 570 रकवा 1.00 हो गया है इसी भूमि के साथ ख. नं. 93 की भूमि भी क्रय की गई थी बन्दोवस्त कार्यवाही के दौरान उक्त क्रय की हुई भूमि का रकवा 0.22 कम हो गया था जिसके सुधार हेतु अनावेदक क्र 1 द्वारा नायब-

R
M

25.10.16

25.10.16

प्रिया परी ने बाल्यकाल
 के दौरान सोने की विद्या नहीं
 ली थी। जिससे उपर विद्या की तरफ
 आनंदित हुए 42-3 वर्ष
 वर्ष (विद्या) की विद्या गत 8 वर्ष
 विद्या की विद्या विद्या। 25.10.16

आदि के हस्ताक्षर

25.10.16 विद्या विद्या, विद्या की विद्या
 विद्या विद्या विद्या विद्या

25.10.16

R
10/16